रसोई गैस संबंधी परेशानी नहीं होगी

रसोई गैस की किल्लत के बीच सीएस और कलेक्टर-एसपी के साथ की वीसी, सीएम डॉ. यादव ने किया आश्वस्त

भोपाल, 12 मार्च मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट-एशिया में युद्ध की स्थितियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रीगण सजग हैं. नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे प्रबंधन किए गए हैं.

नागरिकों को रसोई गैस संबंधी परेशानी नहीं होगी. प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सहित पीएनजी और सीएनजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमिश्नर-कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ पश्चिम-मध्य एशिया में युद्ध के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के दृष्टिगत एलपीजी सहित अन्य ईंधन की उपलब्धता की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स से कहा कि घरेलू गैस वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और मजबूत करें तथा इससे जुड़ी कंपनियों को सर्वर आदि की क्षमता बढ़ाएं जिससे रिफिल बुकिंग ओटीपी जनरेशन और वितरण बिना असुविधा के सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि गलत सूचनाओं का प्रसार और अफवाहों को सख्ती से रोकें और उपभोक्ताओं तक मीडिया आदि का उपयोग कर सही सूचना पहुचाएं. उन्होंने कहा कि नागरिकों के बीच सकारात्मक माहौल बनाए और सूचना तंत्र मजबूत कर अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी की कोई भी घटना नही हो, यह सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव ने कई कलेक्टर्स द्वारा होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन आदि के संचालकों से बात कर घरेलू गैस की जगह इलेक्ट्रिक भट्टी और इंडक्शन आदि का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की.

प्रदेश में 19 से चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के माध्यम से प्रदेश की जल-संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की वह महती आवश्यकता है जिसे हमें भावी पीढ़ियों को उपलब्ध कराने के लिये सहेजकर रखना है. अभियान में जल संरक्षण की पारंपरिक पद्धतियों के साथ नवीन तकनीकी नवाचारों को अपनाया जाए.

निर्मला सीतारमन, सीआर पाटिल से मिले सीएम

कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक मप्र में करेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ भी मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की.

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्रियों के साथ भेंट कर, राज्य हित के विषयों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उनका नई दिल्ली प्रवास बहुत सफल रहा. केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय से मध्यप्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति में पूर्ण सहयोग मिल रहा है. संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग और भविष्य की दृष्टि से उपयोगी प्रकल्पों के संबंध में सार्थक विचार-विमर्श हुआ.

कई योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने की जानकारी भी केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को प्रदान की गई. मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बताया कि कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए निकट भविष्य में राज्यों के कृषि मंत्री मध्यप्रदेश में संयुक्त बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे. कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका और कृषि तकनीक सहित किसानों के हित से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी.

वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रीय वित्त मंत्री से चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से वित्तीय प्रबंधन के संबंध में चर्चा हुई. वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य एवं पूर्ति की जानकारी देते हुए प्रदेश को आवश्यक वित्तीय सहयोग के संबंध में चर्चा हुई. सिंहस्थ-2028 के कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकल्पों के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पर बातचीत हुई. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर. पाटिल से भी उनकी भेंट हुई.

50 लाख से अधिक की संपत्ति बरामद, 14 आरोपी गिरफ्तार

प्रदेश में चोरी, लूट सहित अन्य अपराधों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 मार्च. मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेश में चोरी, लूट, झपटमारी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इन कार्रवाइयों के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की चोरी की संपत्ति भी बरामद की गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की सहायता ली गई.जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 11 तोला 8 ग्राम सोने के आभूषण और 1 किलो 313 ग्राम चांदी के जेवर, कुल लगभग 19.77 लाख रुपये मूल्य के, बरामद किए गए. नीमच में कैंट थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जवाहर नगर क्षेत्र में महिला से सोने की चेन झपटने वाले दो अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया.

आज अमृत मित्र महोत्सव में शामिल होंगी मप्र की 300 महिलाएं

भोपाल. नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि विभाग द्वारा शहरी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. वर्तमान में राज्य के 55 नगरीय निकायों में 312 स्व-सहायता समूहों की 1,028 महिलाओं को अमृत मित्र के रूप में जल गुणवत्ता परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये समूह सार्वजनिक उद्यानों के रख-रखाव और केंद्र सरकार के वुमन फॉर ट्री कार्यक्रम के तहत पौधरोपण एवं उनकी सुरक्षा का दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं.

निर्माण कार्य की सूचना देना जरूरी

- श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 मार्च. श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों पर सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप पर निर्माण स्थल का पंजीयन विवरण, कर्मचारियों की संख्या, स्थान लोकेशन सहित अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है, जिस पर नियोजक श्रमिकों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे सकते हैं. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के प्रावधानों अनुसार किसी भवन या अन्य सनिर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व उस क्षेत्र में, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सनिर्माण कार्य किया जाना है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को स्थल, सुरक्षा उपाय सहित समस्त आवश्यक जानकारी सांझा करना अनिवार्य है. निर्माण स्थलों की जानकारी या सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है. सूचना न देने पर निरीक्षण के दौरान नियम उल्लंघन माना जा सकता है और नियोक्ता पर जुर्माना / कार्रवाई भी हो सकती है. अधिनियम के प्रावधानो अनुसार यदि कोई नियोजक, धारा 46 के अधीन भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ की सूचना नहीं देता है.

डायल 112 ने महिला को अस्पताल पहुंचाया

भोपाल, 12 मार्च. इंदौर जिले में डायल-112 की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने देर रात प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला की तत्परता से सहायता करते हुए उसे समय पर अस्पताल पहुँचाया, जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सका.

यह घटना 12 मार्च को थाना किशनगंज क्षेत्र अंतर्गत महू रोड स्थित उमरिया टोल प्लाजा के पास की है. डायल-112 एफआरवी टीम उस समय क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रही थी. इसी दौरान टीम को एक गर्भवती महिला तेज प्रसव पीड़ा में मिली. महिला के परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे.

'शतक' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि वैचारिक आंदोलन का दस्तावेज

- 'शतक' : फिल्म नहीं, विचार आंदोलन की कहानी

भोपाल, 12 मार्च. आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उसकी वैचारिक एवं संगठनात्मक यात्रा को प्रस्तुत करने वाली फिल्म 'शतक' की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र, भोपाल, सतपुड़ा चलचित्र समिति के तत्वावधान में डीडीएक्स सिनेमा, कोलार में किया गया.

इस विशेष स्क्रीनिंग में लगभग सौ से अधिक श्रोताओं ने सहभागिता करते हुए फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षों की वैचारिक यात्रा, उसके कार्य विस्तार और राष्ट्र जीवन में उसके योगदान को जाना.

इस अवसर पर पत्रकार, शोधार्थी, समाजसेवी, शिक्षाविद् तथा पत्रकारिता के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. कई श्रोता अपने परिवारों के साथ भी इस विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए और फिल्म के माध्यम से संघ की कार्यपद्धति, विचार और समाज जीवन में उसकी भूमिका को समझने का प्रयास किया. फिल्म के प्रदर्शन के पश्चात श्रोताओं ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 'शतक' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन की यात्रा का दस्तावेज है.

आरएसएस एक व्यापक विचारधारा है

वहीं अन्य श्रोताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को केवल एक संगठन के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक व्यापक विचारधारा है, जिसका प्रभाव समाज के विविध क्षेत्रों में दिखाई देता है. फिल्म इस तथ्य को प्रभावी ढंग से सामने लाती है. कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और विद्यार्थियों ने भी फिल्म को प्रेरक बताते हुए कहा कि वर्तमान 'जेन-जी' पीढ़ी के लिए इस प्रकार की फिल्मों को देखना आवश्यक है, ताकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ सकें.

रेलवे, आरपीएफ और एनडीआरएफ का संयुक्त दुर्घटना अभ्यास

भोपाल. पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सूखीसेवनिया रेलवे स्टेशन पर संयुक्त दुर्घटना अभ्यास आयोजित किया गया.

इस अभ्यास में भोपाल रेल मंडल, 11वीं बटालियन आरपीएसएफ/आरपीएफ तथा एनडीआरएफ भोपाल की टीमों ने भाग लिया.

विकास में खेत और किसान की अच्छी सेहत जरूरी

- राज्यपाल जागरुकता कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल, 12 मार्च. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जागरूकता जरूरी है.

विकास के लिए खेत और किसान की अच्छी सेहत होना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारी के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करना तथा किसानों को आधुनिक कृषि संसाधनों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्यपाल पटेल अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम एवं कृषि उपकरण एवं बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

विकास के लिए पूंजीगत व्यय सर्वोच्च प्राथमिकता : देवड़ा

- राजस्व प्रदर्शन में मध्यप्रदेश का उल्लेखनीय सुधार
- इंडेक्स 2026 में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की झलक

भोपाल, 12 मार्च. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के राजस्व प्रदर्शन का सकारात्मक आकलन राज्य की वित्तीय अनुशासन और विकासोन्मुख नीतियों का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति मिली है और निवेश का माहौल लगातार बेहतर हुआ है. मध्यप्रदेश की राजकोषीय स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. नीति आयोग द्वारा जारी दूसरी वार्षिक फिस्कल हैल्थ इंडेक्स 2026' रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन और राजस्व प्रदर्शन का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश ने वर्ष 2021-22 से लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखा है, जो मजबूत कर-संग्रह और राज्य के अपने राजस्व स्रोतों में वृद्धि का परिणाम है.

काव्य पाठ, निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

भोपाल. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह' के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार 12 मार्च को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मीटिंग कक्ष क्रमांक-02 में महिला रेल कर्मचारियों के लिए काव्य पाठ, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई.

नाम परिवर्तन

मैं लावण्या मणिपात्रोनी पति वेंकट विजय कुमार मणिपात्रोनी आयु 57 वर्ष, निवासी मकान नंबर 60, सहगल हाउस, फ्लैट नंबर 5, लाला लाजपत राय कॉलोनी, राधा मंदिर के पास, अशोका गार्डन, भोपाल शपथ पूर्वक कथन करती हूं कि पहले मुझे एम लावण्या के नाम से जाना जाता था. अब मेरा नाम परिवर्तन करने के बाद मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम लावण्या मणिपात्रोनी दर्ज हो गया है. आज के बाद मुझे लावण्या मणिपात्रोनी के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

कार्यालय नगर परिषद अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

क्रमांक / 2241 / ई-टेण्डर / 2026 अजयगढ़, दिनांक 12.03.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा नगर परिषद अजयगढ़ अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑनलाइन टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	समय अवधि
1	2026_UAD_489797_1	Const. of windrow platform	14.54 लाख	11,000.00	2,000.00	03 माह
2	2026_UAD_489831_1	Const. of proccesing shed	22.88 लाख	17,200.00	2,000.00	03 माह

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की प्रारंभ दिनांक 13.03.2026 (सुबह 10.30 बजे से), 02. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 13.04.2026 (शाम 17.30 बजे तक), 03. निविदा खोलने की दिनांक 15.04.2026 (शाम 05.30 बजे से)

टीप :- ◆ इच्छुक निविदाकार वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर जाकर Urban Administration & Devlopment Department विभाग के अंतर्गत निविदा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।◆ निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति मे सिर्फ आनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशित किये जावेंगे न कि किसी समाचार पत्र में ।◆ किसी भी निविदा को कारण या बिना किसी कारण के स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार नगर परिषद अजयगढ़ को होगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अजयगढ़, जिला पन्ना म.प्र.

कार्यालय संयुक्त संचालक कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय शासकीय आदर्श औ.प्रशि. संस्था कैम्पस गोविन्दपुरा, भोपाल-462023 मध्यप्रदेश

निविदा

भोपाल, दिनांक 6/3/2026

क्रमांक- क्षेका/संसं/कौवि/भो/क्रय/26/496/ संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए औजार उपकरण अंतर्गत हैंड टूल्स को क्रय करने की कार्यवाही की जाना है. हैंड टूल्स को क्रय करने की कार्यवाही करने हेतु ऑनलाइन निविदा क्र. GEM/2026/B7312229 आमंत्रित की जाती है. निविदा का प्रारूप एवं शर्तें वेबसाइट https://mkp.gem.gov.in/market पर उपलब्ध है. इच्छुक फर्म दिनांक 24/3/2026 तक ऑनलाइन पोर्टल https://mkp.gem.gov.in/market पर आवेदन कर सकते हैं.

(डी.एस.ठाकुर)
संयुक्त संचालक
कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

G27131/25

CHANGE OF NAME

I, Vikas Meena S/o Bhagwan Singh Meena R/O at Hn- 01, Ward-53, Near Misrod Police Station, Huzur Misrod, Bhopal Madhya Pradesh- 462047, Declares That My Father Name Has Been Wrongly Mentioned as Bhagwan Meena in My Educational Certificate & Passport. The Actual Name of My Father is Bhagwan Singh Meena. Respectively, Which May Be Amended Accordingly for All Future Purposes

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री लखन घाघरे, श्रीमती नन्ही बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10723231)	पटवारी हल्का संख्या 76, खसरा संख्या 192, चिलहाटी, मुलताई, बैतूल, मध्य प्रदेश-460443 स्थित संपत्ति का पूरा भाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 525.00, 491.00	रुपये 278127/- (रु. दो लाख अट्ठहत्तर हजार एक सौ सत्ताइस मात्र)	03-11-2025	10/03/2026
श्रीमती उर्मिला सतांकर श्री शिवदास सतांकर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10708059)	संपत्ति का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 753 वर्ग फुट है. पट्टा परमान पत्र संख्या 70/A66/2015-16, पटवारी हल्का संख्या 94, खसरा संख्या 97, ग्राम गंगापुर, तहसील मुलताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश-460666 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 753.00, 557.00, 410.00	रुपये 321958/- (रु. तीन लाख इक्कीस हजार नौ सौ अट्ठावन मात्र)	04-11-2025	10/03/2026
श्री कृष्ण बेले, श्रीमती नीतू कृष्ण बेले (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10456439)	पटवारी हल्का संख्या 79, खसरा संख्या 61/1, ग्राम पाबल, प्रभात पट्टन, बैतूल, मध्य प्रदेश, 460557, भारत स्थित संपत्ति का पूरा भाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 900.00, 552.00, 690.00	रुपये 274917/- (रु. दो लाख चौहत्तर हजार नौ सौ सत्रह मात्र)	24-10-2025	10/03/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल/ या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल, दिनांक- 13-3-2026 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

जनता के बीच जाकर उठाएं समस्याएं

पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 मार्च. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को इंदौर ग्रामीण जिले की महू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति कार्यकर्ता सम्मेलनों में भाग लिया. यह सम्मेलन मानपुर ब्लॉक, महू शहर ब्लॉक और चोरल में आयोजित किए गए, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से संवाद किया.

सम्मेलनों के दौरान संगठन को मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने तथा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने पर विस्तार से चर्चा की गई.

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और उनकी सक्रियता से ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जा सकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाएं और कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं.

किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों के पंजीयन की तारीख तो बढ़ा दी, लेकिन बार-बार सर्वर डाउन रहने के कारण कई किसान पंजीयन नहीं कर सके.

मुख्यमंत्री से पटवारी ने मांगे जवाब

जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 14 मार्च को प्रस्तावित विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे से पहले कई गंभीर मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है. अपने पत्र में पटवारी ने कहा कि यह विधानसभा क्षेत्र विधायक संजय पाठक का है और यहां से जुड़े कई आरोपों ने गरीबों, आदिवासी समुदायों और किसानों के बीच चिंता पैदा कर दी है. उन्होंने कहा कि जनता इन मामलों पर सरकार से स्पष्टता चाहती है. पटवारी ने पूछा कि क्या यह सही है कि विधानसभा में दिए गए एक आधिकारिक जवाब के अनुसार पाठक परिवार से जुड़ी कंपनियों पर करीब 443 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है और यदि ऐसा है तो यह राशि कब तक वसूल की जाएगी.

अदालती नोटिस

H.C.J. part VII-SS

न्यायालय श्रीमान रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट महोदय अयोध्या

वाद सं. 14792 सन् 2025 ई.

अयोध्या अयाज अहमद बनाम गुलजार अहमद आदि धारा 35 (2) -PR-C-2006 चूंकि उपरिनामांकित अपीलांट ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि रेस्पॉन्डेंट 1- गुलजार अहमद सिद्दीकी 2- आफताब अहमद सिद्दीकी पुत्रगण स्वर्गीय निहाल अहमद सिद्दकी निवासी 32 अहाता सिकंदर कुली खां पुल बोगदा तहसील हुजूर जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) अतएव आपको एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिए 2026 के 03 के 20 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रुपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने से असफल करने पर उक्त आवेदन पत्र एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा.

जिला
की

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुद्रा सहित आज 2026 के 03 माह 09 दिवस को निकाली गई.

टी.सी. एस. कुमार
(एड्वोकेट)
शॉप नं. 4, सिविल कोर्ट
फैजाबाद यूपी

R.N.- 61914

जाहिर सूचना

मैं अपनी पक्षकार श्रीमती चंदा कुशवाहा पत्नि स्व. श्री रंजीत सिंह कुशवाहा निवासी- मकान नं.- 45, रिसालदार कालोनी, गली नं. 02, वार्ड नं.- 18, छोला नाका, छोला रोड, तहसील हुजूर, जिला - भोपाल म.प्र. की ओर इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित है कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि मेरी पक्षकार के ससुराल पक्ष के लोग उपरोक्त वर्णित मकान नं. 45, को विक्रय करने की चेष्टा अथवा ऋण, बंधक रखकर लोन, प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे है . उक्त वर्णित मकान नं.- 45 पर मेरी पक्षकार और उसके ससुराल पक्ष के मध्य माननीय न्यायालय श्रीमान तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) भोपाल (म.प्र.) में व्यवहार वाद क्रमांक RCS A /322/2020 चंदा कुशवाहा एवं अन्य विरूद्ध मीरा देवी एवं अन्य लंबित है. ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति, संस्था, बैंक इत्यादि उपरोक्त मकान नं.- 45 को क्रय करेंगे या उस पर ऋण, लोन, प्रदान करेंगे तो वह अवैधानिक होकर शून्य होगा. ऐसे सव्यवहार की जिम्मेदारी दोनों पक्षकारों की होगी तथा मेरी पक्षकार ऐसे अवैधानिक सव्यवहार के पक्षकार पर रिपोर्ट कर दाण्डिक कार्यवाही करेंगी .

कृप्या सूचित हों .

भोपाल
दिनांक- 12.03.2026

भवदीय
(गोपाल सराठे)
अधिवक्ता
हाउस नं.-8, दयानंद चौक
जुमेराती भोपाल
मो. नं. 9977256628

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री प्रिंस रोहित श्रीमती आशा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10381636)	पटवारी हल्का संख्या 45, खसरा संख्या 319, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, ग्राम भैसा, सागर, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 900.00, 505.00, 404.00	रुपये 310926/- (रु. तीन लाख दस हजार नौ सौ छियासी मात्र)	22-10-2025	09/03/2026
श्री विक्रम रघुवंशी श्री अंजू श्रीमती अनीता रघुवंशी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10661637)	पटवारी हल्का संख्या 64, खसरा संख्या 444, ग्राम मोराखा, तहसील आमला, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, 460661, भारत में स्थित संपत्ति का पूरा भाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र क्षेत्रफल: 1400.00, 843.00, 674.00	रु. 505653/- (रु. पांच लाख पांच हजार छह सौ तिरेपन मात्र)	27-10-2025	09/03/2026
श्रीमती रेखारानी श्री कमलेश (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10678829)	पटवारी हल्का संख्या 58, खसरा संख्या 569, क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट, ग्राम अगसिर, तहसील मालथौन, जिला सागर, मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति का पूरा भाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 500.00, 500.00	रुपये 343664 /- (रु. तीन लाख तिरतालीस हजार छह सौ चौंसठ मात्र)	04-11-2025	09/03/2026
श्री तोफान रे श्रीमती उषा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10709089)	वह संपूर्ण संपत्ति, जिसका पता है: 45, खसरा नं. 115(बी), वार्ड नं. 2, मकान नं. 42, बामहोरी हुड्डा, राजवास, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश-470442. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल- 710.00, 680.00	रुपये 320891/- (रु. तीन लाख बीस हजार आठ सौ इंक्यानवे मात्र)	27-10-2025	09/03/2026
श्री राकेश कुमार यादव श्रीमती किरण यादव डेयरी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10518037)	पटवारी हल्का संख्या 33, खसरा संख्या 187, ग्राम गडौली कलां, तहसील एवं जिला सागर, मध्य प्रदेश, 470115, भारत स्थित संपत्ति का पूरा भाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफलट्ट 600.00, 504.00, 400.00	रुपये 248529/- (रु. दो लाख अड़तालीस हजार पांच सौ उन्तीस मात्र)	08-08-2025	09/03/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल/ या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल, दिनांक- 13-3-2026 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड